भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1951

(जिसका उत्तर मंगलवार, 15 मार्च, 2016 को दिया गया)

<u>कंपनी अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत शर्तों को शिथिल करना</u>

1951. प्रो. एम. वी. राजीव गौडा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर जारी करने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत विहित शर्तों को शिथिल करने की कोई योजना है;

(ख) क्या यह स्टार्ट अप्स के लिए 'क्राउडफंडिंग' को संभव बनाने हेतु मानदंडों को सरल बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन मानदंडों को सरल बनाने के जोखिमों का कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा गठित कंपनी विधि समिति ने अपने प्रतिवेदन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अधीन निर्धारित प्राइवेट स्थापन प्रक्रियाओं को आसान करने के लिए अनुसंशाएं की हैं। कंपनी की श्रेणी का विचार किए बिना सभी प्राइवेट स्थापनों के लिए इन सरल प्रक्रियाओं की अनुशंसा की गई है। सीएलसी ने अपनी अनुशंसाएं करने से पहले हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया था। सरकार ने सीएलसी की अनुशंसाएं स्वीकार कर ली हैं।

*****